



COLLEGE OF AGRICULTURE – PEETHAMPURI

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

कृषि महाविद्यालय पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज.)- 332 708

Dr. S.K. Khandelwal
DEAN

Email: dean.coapeethampuri@sknau.ac.in

M: 9549692964

No. F. (/Farm/COAPP/2026/ 994


Date: 11/6/2026

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी (नीम का थाना) फार्म पर 40 सुखे हुए बबूल के पेड़ों की नीलामी करने हेतु बोली दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय परिसर में रखी गई है। जो भी इच्छुक व्यक्ति/फर्म उक्त पेड़ों को लेना चाहता है वह दिनांक 10.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय परिसर पर उपस्थित हो कर बोली लगा सकते हैं। उक्त बोली से सम्बन्धित विवरण www.sknau.ac.in पर देखा जा सकता है।


नीलामी की शर्तें:-

1. इच्छुक बोलीदाता उक्त पेड़ों का निरीक्षण नीलामी में भाग लेने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं। नीलामी के पश्चात् खरीदे गये सूखे पेड़ों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. नीलामी हेतु सूखे पेड़ों की सरकारी न्यूनतम बोली/आरक्षित मूल्य निर्धारित की गई है। यदि सूखे पेड़ों के सन्दर्भ में खुली उच्चतम बोली यदि सरकारी न्यूनतम बोली/आरक्षित मूल्य निर्धारित राशि से कम रहती है तो ऐसी अवस्था में सूखे पेड़ों की नीलामी निरस्त की जा सकती है।
3. नीलामी की गई सूखे पेड़ों को वर्णित स्थल से "जैसा है जहाँ है के आधार पर" नीलामी छूटने से पन्द्रह दिवस के भीतर ले जाना अनिवार्य होगा। पन्द्रह दिवस तक सूखे पेड़ों को न ले जाने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी तथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. बोली लगाने से पूर्व राशि 1000/- रु. नगद जमा कराने होंगे। सफल बोलीदाता के अलावा शेष व्यक्तियों/फर्मों को यह राशि बोली के उपरान्त लौटा दी जाएगी।
5. नीलामी छूटने पर कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा उसी समय तथा शेष राशि हिस्सा दो दिवस में कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही सूखे पेड़ों को ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
6. सूखे पेड़ों को ले जाने का समय सुबह 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक फार्म मैनेजर एवं कृषि पर्यवेक्षक की देख रेख में करना होगा।
7. सूखे पेड़ों को ले जाते समय महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिये अन्यथा इसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।
8. उक्त नीलामी को निरस्त एवं स्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।


11/06/2026
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त खुली नीलामी हेतु स्वयं या नामित प्रतिनिधि को भिजवाने का श्रम करें।
2. संयोजक/सदस्य नीलामी समिति (Auction Committee), कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी।
3. फार्म प्रभारी/फार्म स्टोर कीपर/लेखाशाखा, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी।
4. सूचना पट्ट महाविद्यालय/ग्राम पंचायत पीथमपुरी, कांक्ट एवं थोई।
5. रक्षित पत्रावली।


11/06/2026
अधिष्ठाता